"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई 2009—श्रावण 8, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2009 (श्रावण 8, 1931)

क्रमांक-7508/वि. स./विधान/2009.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009), जो दिनांक 30 जुलाई, 2009 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4-क में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा-4-क में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार सात सौ पचास" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है. अत: छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) में संशोधन प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख : 29-07-2009

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 7,00,000.00 (रुपये सात लाख) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता, पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 4-क का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 4-क प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन भत्ते के रूप में (एक हजार) रुपये प्रतिमास दिये जायेंगे, चाहे उसके निवास स्थान पर टेलीफोन हो या न हो.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.